प्रसार शिक्षा निदेशालय
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, 342 304 राजस्थान (भारत)
DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR-342 304 RAJASTHAN (INDIA)
Prof. Ishwar Singh
Director Extension Edu.
Phone: 0291-2941371 (O)
E Mail: deeaujodhpur@gmail.com

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. F.( )Estt./DEE/AU/Jodh/2023-24/237-239 Date:31.05.2023 01.06.2023

खुली निविदा सूचना 01/2023–24

प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा मुख्यालय पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सम्मिलित अधिकारियो, कर्मचारियो, विशिष्ठ अतिथितियो तथा किसानो को चाय, नाश्ता और खाना एवं अन्य सामग्री प्रदाय हेतु जीएसटी में पंजीकृत, वाणिज्य कर विभाग में राजस्थान वेट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से खाद्य एव सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् लाईसेंस धारी फर्मों/निविदादाताओं से दर अनुबंध हेतु प्रोक्योरमेंट प्रकिया से निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://www.sppp.rajasthan.gov.in तथा http://www.aujodhpur.ac.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	आवेदन शुल्क (रू.)
1.	अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था	4,95,000/–	9,900/–	500/–

निविदा संबंधित विभिन्न तिथियां एवं समयः–

क्र. सं.	निविदा प्राप्ति दिनांक	डी.डी. / दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	निविदा खोलने का स्थान
1.	01.06.2023 प्रातः 10:00 बजे	12.06.2023 दोपहर 12:00 बजे तक	12.06.2023 दोपहर 1:00 बजे	कार्यालय प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

(निदेशक प्रसार शिक्षा)

अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु खुली निविदा के लिए संविदा की भार्ते

1. खाद्य सुरक्षा का वैद्य प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। इसके अभाव में निविदा स्वीकर नहीं की जायेगी।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
3. दरें शब्दो व अंको दोनों में लिखी जावेगीं। इनमें त्रुटियां या उपरलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

4. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिये तथा उनमें सभी आनुशंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये तथा सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा भोजन की सुपुदर्गी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
5. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी)
(क) निविदा के साथ 9,900/– (रूपये नौ हजार नौ सौ मात्र) की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के पक्ष में डीडी के रूप में जमा कराई जानी चाहिये।
(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाताओं की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के पश्चात् लौटायी जोयगी।
6. भुगतान जब पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेगें।
7. सब्जी बनाने के लिये काम मे लिया जाने वाला तेल मूंगफली/घी (ब्रांडेड) एवं एफएसएसआई मार्का का होना चाहिए।
8. सभी सामग्री अच्छी किस्म की सामग्री से निर्मित होनी चाहिए।
9. भोजन आदि की व्यवस्था कार्य स्थल पर या उसके आस–पास बताई जगह पर करनी होगी।
10. भोजन थाली, कटोरी, चम्मच आदि की सप्लाई करना होगा।
11. **खाना बोन चाइना क्रोकरी में परोसा जायेगा एवं प्लास्टिक क्रोकरी एवं डिस्पोजल का उपयोग नही किया जायेगा।**
12. स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ग्लास के साथ निविदादाता द्वारा ही की जोयगी। पानी आर. ओ. फिल्टर होना चाहिये।
13. चाय नाश्ते के लिये कप–प्लेट इत्यादी की व्यवस्था आवश्यकतानुसार निविदादाता को करनी होगी।
14. झूठे बर्तन खाने–पीने के तुरंत बाद स्थल से हटाने होंगे।
15. **निविदादाता द्वारा अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था हेतु न्यूनतम व्यक्तियों की शर्त मान्य नहीं होगी। कार्यालय द्वारा जब भी जितने व्यक्तियों के अलपाहार अथवा भोजन की व्यवस्था के लिए कहा जायेगा निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।**
16. जिन निविदादाताओं की दरें क्रय कमेटी द्वारा अनुमोदित की जायेगी उन्हे समय–समय पर कार्यालय की मांग एवं आवश्वयकतानुसार कार्य आदेश जारी करने पर अनुमोदित दर पर फर्म को आपूर्त्ति करनी होगी।
17. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जायेगा।
    1. जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    2. जब निविदादाता संपूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।
    3. प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
18. प्रत्येक सफल निविदादात को आदेश प्राप्ति पर 5 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी। धरोहर राशि को अमानत राशि में शामिल किया जा सकेगा।
19. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
20. आप द्वारा प्रस्तुत दरें आगामी 31.03.2024 तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
21. निविदादाता की न्यूनतम दरें स्वीकृत होने पर नियमानुसार एग्रीमेंट निश्पादित कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
22. भोजन संबंधी समस्त सामग्री ईंधन, बर्तन, पानी आदि की निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।

23. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन अपने स्तर से सम्पर्क कर देना होगा। चाय व भोजन अधिक बनाने पर उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. निविदादाता द्वारा चाय व भोजन तथा सांय भोजन दिया जायेगा उस बाबत् प्रतिदिन सुबह व सांय की पृथक–पृथक विवरणानुसार सूचना किसानों से हस्ताक्षर करवाकर कार्यालय मे नियमित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

25. निविदादाता को उपयुक्त नियमित रूप से प्रस्तुत विवरण के आधार पर गणना कर सुबह व भाम की पृथक–पृथक वर्किंग लंच व डिनर भुगतान कार्यालय रिकॉर्ड से पुश्टि कर किया जायेगा।

26. क्रय कमेटी को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना बताये अस्वीकृत कर सकेंगे।

27. निविदा को दिनांक **12.06.2023 को 01:00** बजे बाद खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है अथवा निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।

28. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

29. राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में और उपरोक्त दी गई शर्तो में विरोधाभास की स्थिति में आरटीपीपी एक्ट एवं नियम प्रभावी होगा।

30. किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर होगा।

31. बिक्री कर प्रमाण पत्र में खाद्य पदार्थ आपूर्ति का उल्लेख होना आवश्यक होगा।

32. निविदादाता का चाय, दोपहर का भोजन के लिए दरें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देनी होगी।

33. **निविदादाता को निविदा खोलते समय अपने साथ भोजन के समय काम में लेने क्रोकरी का सेंपल आवश्यक रूप से लाना होगा अन्यथा उनकी निविदा किसी भी हाल में स्वीकार नही की जायेगी। (सेंपल हेतु 01 भोजन की थाली, कटोरी, क्वाटर प्लेट, कप, चम्मच, ग्लास इत्यादि बोन चाइना क्रोकरी साथ में लेकर आना होगा।)**

34. **आवश्यकता लगने पर भोजन का सेंपल भी निविदादाता को प्रस्तुत करना पडेगा जिसमें उसे समस्त इंतजाम यथा सर्विंग आउटलेट एवं मय वेटर प्रस्तुत करना होगा।**

35. **आवश्यकतानुसार भोजन के समय वेटर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी स्वयं निविदादाता की होगी।**

निविदादात के हस्ताक्षर
मय मोबाइल नम्बर

प्रसार शिक्षा निदेशालय,
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

क्रमांकः– एफ( )/स्था./प्रशिनि/कृ.वि./जोध./2022–23/ दिनांकः 31.05.2023

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का विवरणः अल्पाहार, चाय, कॉफी, एवं भोजन व्यवस्था हेतु दर संविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म/व्यापारी का नाम व पूर्ण पता..
....दूरभाष नं..........................
3. आयकर स्थायी खाता संख्या..
4. टीन नम्बर..
5. जीएसटी पंजीयन क्रमांक..
6. हेल्थ विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा लाईसेंस संलग्न है।
7. निविदा जिसको संबोधित की गई है – निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
8. निविदा शुल्क की राशि 500/–की राशि डीडी ....दिनांक .... जो निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम जो जोधपुर में देय है। (सलंग्न है)
9. अमानत राशि का डीडी .... जिसका क्रमांक.............................. दिनांक .... जो निदेशक प्रसार शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नाम जो जोधपुर में देय है। (सलंग्न है)
10. मैंने/हमने निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न निविदा की भार्तों एवं अतिरिक्त भार्तों को भलीभांति अध्ययन कर लिया है। जिसके लिये मै/हम बाध्य हूँ/हैं उन्हें स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
11. मै/हम निम्नलिखित कार्य को उनके सम्मुख अंकित दर (सभी करों एवं खर्चे सहित) करने एवं देने को सहमत हूँ/है।
12. निविदादाता द्वारा वर्णित की गई दरें दिनांक 31.03.2024 तक मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता की घोशणा

मैं/हम यह घोशणा करता हूँ/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य का पूर्ण अनुभव हैं। यदि यह घोशणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया हे को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु खुली निविदा के लिए आपूर्ति दरें

निविदादाता का नाम:..दिनांक...............................

क्र. सं.	विवरण	दर (समस्त कर सहित)
1.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml.	
2.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml. मय बिस्किट (कुकीज)	
3.	चाय 150 ml. कॉफी 150 ml. मय नाश्ता (पोहा / उपमा / पराठा एवं दही / पुरी भाजी अथवा अन्य कोई)	
4.	वी.आई.पी. हाई–टी (ड्राई फ्रूट, केला, एक पीस मिठाई, नमकीन, के साथ में चाय / कॉफी)	
5.	**खाना–1 (बोन चाइना क्रोकरी के साथ)** 1. स्टार्टर (सूप) –02 2. ग्रेवी सब्जी –03 3. हरी सब्जी –01 4. दाल –01 5. मिर्ची कूटा / अचार 6. बटर चपाती / पूरी / मल्टीग्रेन चपाती / बाजरा रोटी 7. चावल / पुलाव 8. रायता 9. पापड़ 10. ग्रीन सलाद 11. मिठाई –02 12. आईसक्रिम	
6.	**खाना–2 (बोन चाइना क्रोकरी के साथ)** 1. स्टार्टर (सूप) –01 2. ग्रेवी सब्जी –02 3. हरी सब्जी –01 4. दाल –01 5. मिर्ची कूटा / अचार 6. बटर चपाती 7. चावल / पुलाव 8. रायता 9. ग्रीन सलाद 10. मिठाई –01	
7.	**खाना–3** 1. हरी सब्जी –01 2. मिर्ची कूटा / अचार 3. दाल –01 4. चपाती / पूरी 5. मिठाई –01	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोबाइल नम्बर